राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/U-DISE/2012–13 / 1022 दिनांकः 12/10/2012

प्रेषकः

डॉ. वीना प्रधान आई.ए.एस.

निदेशक (मा.शि.),

एवं राज्य परियोजना निदेशक,

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,

जयपुर

प्रेषितिः

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./मा.शि. प्रथम/मा.शि. द्वितीय),

समस्त।

विषयः– U-DISE प्रपत्रों के द्वारा विद्यालयों से डेटा संग्रहण में सर्व शिक्षा अभियान का सहयोग।

आप सभी को ज्ञात है कि राज्य में प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण का कार्य एक साथ करने के उद्देश्य से डेटा संग्रहण हेतु RMSA के SEMIS प्रपत्र तथा SSA के DISE प्रपत्र के स्थान पर एकीकृत U-DISE प्रपत्र लागू किया गया है। इस प्रपत्र के संग्रहण, डेटा फीडिंग तथा रिपोर्ट तैयार करने हेतु राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि U-DISE कार्यक्रम के समस्त चरणों के विषय में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशों की पालना करना तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जुड़े समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों से इन निर्देशों की पालना करवाते हुए कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने जिले के सभी विद्यालयों (राजकीय/अराजकीय) से इन निर्देशों की पालना करवाने तथा U-DISE के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, DCF वितरण व संग्रहण के चरणों का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

12/10/12

राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. उपनिदेशक (मा.शि.), बीकानेर को भेजकर आदेशित किया जाता है कि माह अक्टूबर व नवम्बर, 2012 में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् की ओर से आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण DCF वितरण व DCF संकलन की प्रतिदिन की जिला शिक्षा अधिकारी वार रिपोर्ट बनाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें तथा इस आदेश की पालना करवाना सुनिश्चित करें।
4. उपनिदेशक, (मा.शि.) समस्त संभाग को भेजकर आदेशित किया जाता है कि जिले वार मॉनिटरिंग हेतु उपनिदेशक (मा.शि.) बीकानेर का प्रतिदिन रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।
5. उपनिदेशक (U-DISE), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर को भेजकर लेख है कि राप्राशिप से माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों/कार्यालयों हेतु जारी होने वाले समस्त पत्र व्यवहार से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर को भी अवगत करावें।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रामाशिप), समस्त।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त।
8. कार्यालय पत्रावली।

12/10/12

राज्य परियोजना निदेशक

D:\Office order & U.O. Note.docx